

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।

(Swasthya Bhawan Tilak Marg C-Scheme, Jaipur-302005)
(Phone Number—0141—2222663 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:—नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी / F-4 pt-3 /ACP (27989)2025 / 106

दिनांक:— 11/3/2025

--:आदेश:--

राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15 (88) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15(1) वित्त/नियम/2017 पार्ट दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिन्होंने 09 एवं 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/एमएसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है:—

क्र०सं०	नाम कर्मचारी व पद (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी/ एम एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवावधि	देय पे ब्रेण्ड/वर्तमान में प्राप्त पे—लेवल	देय ग्रेड—पे/ वेतन लेवल/ वेतन श्रृंखला
1	पुष्पा मनात म०स्वा०कार्य०	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बायतु जिला वालोतरा	16.08.2005	16.08.2023 18 वर्ष	लेवल—10	लेवल—11
2	अनिता म०स्वा०कार्य०	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेवदर जिला सिरोही	02.03.2009	02.03.2018 09 वर्ष	लेवल—08	लेवल—10
3	मनोकामना मानकी म०स्वा०कार्य०	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीपाड, जोधपुर	11.03.1993	18.07.2022 13 वर्ष	लेवल—10	लेवल—11
4	प्रिति रानी म०स्वा०कार्य०	उप स्वास्थ्य केन्द्र गौडा खण्ड फागलियां बाडमेर	11.08.2005	11.03.2023 13 वर्ष	लेवल—10	लेवल—11

नोट— उक्त कार्मिको का वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

उक्त कार्मिका के यदि 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न हुई है, तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होंगे।

कम संख्या 03 पर अंकित कार्मिका का दिनांक 15.03.1996 से 20.07.2007 तक की अवधि को (Dies Non) शुन्य काल माने जाने से कार्मिका की 18 वर्षीय एसीपी देय तिथि 18.07.2022 को पूर्ण होती है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी / X-22 /ACP part-3 (24858)2025 / 106

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि कम संख्या 2 पर अंकित कार्मिका का प्रकरण विलम्ब से निदेशालय को प्रेषित किये जाने के संबंध में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण कर प्रकरण निदेशालय को प्रेषित करावें।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर/जोधपुर/सिरोही/वालोतरा।
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बायतु/रेवदर/पीपाड/फागलिया।
- सम्बन्धित कर्मचारियों को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
- प्रभारी आईटी सैल मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/रक्षित पत्रावली

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :10-03-2025 07:15:36

E- File/Order 2024 2025

RajKaj Ref No.: 13469755